षष्ठम् भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS)के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।

6.1.1 प्रत्येक संकाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोडकर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत स्थान एवं कुल स्वीकृत सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें (क्षैतिज) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

6.1.2 अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 08.03.2019 राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {संदर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 28.02.2019 राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए Income & Asset Certificateएक बार जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण–पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11( )आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022) व उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.12(1)शिक्षा /ग्रुप–3/2024–03349 जयपुर दिनांक 06.02.2024 की पालना में।

6.1.3 स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जातिप्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

RajKaj Ref
7533913

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.07 17:58:51 IST
Reason: Approved